प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की प्रभावशीलता का अध्ययन

सुषमा पाण्डेय*

प्राथमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव है। इसको सर्वव्यापक सर्वसुलभ एवं सार्वजनिक बनाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात से ही अनेक नीतिगत प्रयोग हुए हैं। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता एक नवीन प्रयोग हैं जिसमें दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था से जोड़ते हुए जहाँ एक ओर केंद्र से जोड़ा गया वहीं दूसरी ओर ग्राम शिक्षा समिति, ब्लॉक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति को उत्तरदायी बनाते हुए समुदायों को विद्यालयों से जोड़ दिया गया है। यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या प्राथमिक विद्यालयों को इस विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था से उद्देश्यानुरूप सहयोग मिल रहा है? इसी उद्देश्य के आकलन हेतु इस अध्ययन को किया गया है।

बहुत पहले से ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय संस्थाएँ, व्यक्ति तथा समुदाय अपनी-अपनी सहभागिता निभाते रहे हैं। उपनिवेश काल से पहले शिक्षा ज़्यादातर मदरसों, टोलों तथा पाठशालाओं में दी जाती थी। इन संस्थाओं की व्यवस्था ज़मींदार अभिभावक अपने तरीके से करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे लोकतंत्रात्मक जीवन-शैली की सफलता के लिए शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया गया और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि राज्य ऐसा प्रयास करें कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपनी अनुशंसाओं में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल दिया। इसें संस्थागत नियोजन, विद्यालय

* *वरिष्ठ प्रवक्ता*, शिक्षा संकाय, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

संकुल जैसी योजनाओं तथा प्रभावी शिक्षण अधिगम, प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता के संवर्धन पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 14 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, त्रि-भाषा सूत्र लागू करने तथा उत्तम पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने और शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार बनाने पर जोर दिया गया।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए श्री बलवंतराय मेहता (1957) के प्रतिवेदन की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। समिति की संस्तुति थी कि *"स्थानीय निकायों को विभाग अथवा संविदाकार नहीं समझना चाहिए। यह ग्राम और क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक सरकार है।"* समिति की संस्तुति के अनुसार त्रिस्तरीय योजना का क्रियान्वयन 1960 में किया गया।

सन् 1971 तक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकायों पर था। राज्य सरकार द्वारा उन्हें समस्त प्रकार की संभव सहायता एवं निर्देशन दिया जाता था परंतु ये निकाय अपने दायित्वों को पूरी तरह नहीं निभा सके। इसका प्रमुख कारण स्थानीय निकायों की स्थानीय प्रतिद्वंद्विता एवं गड़बड़ी थी। परिणामस्वरूप प्राथमिक स्कूलों का संचालन एवं अध्यापकों, छात्रों आदि को प्रदत्त सुविधाओं को भलीभाँति प्रदान नहीं किया जा सकता था। अत: ढाई लाख से अधिक शिक्षकों तथा डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राओं की विशाल संख्या के कारण स्थानीय निकायों के समिति शासन तंत्र के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाना संभव न हो सका। इसलिए राज्य सरकार ने 1973 को एक अध्यादेश पारित कर प्राथमिक शिक्षा को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी समय 1973 में बेसिक शिक्षा परिषद् का भी गठन किया गया।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन तंत्र का भाग-10 अंत स्थापित किया गया। इन संशोधनों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में लिया गया है।

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का तीव्र गति से विकास हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए अनुभव किया जाने लगा कि विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे किसी एक पर दायित्व न होकर सभी को उसके उत्तरदायित्व दे दिए जाएँ। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण यह था कि शैक्षिक विकेंद्रीकरण केंद्र से लेकर एक स्कूल तक जुड़े हों और समुदाय में भी प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता आए। शैक्षिक प्रशासन एवं समुदाय मिलकर शिक्षा के

प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की बेहतर देख-रेख हो सके। इसलिए शैक्षिक प्रशासन को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया जिससे संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा की देख-रेख हो सके।

विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिकारों और कार्यकलापों को केंद्र से हटाकर नीचे के स्तरों के निकायों/संगठनों को सौंपा जाता है। शिक्षा में नीति योजना, प्रबंधन और वित्त प्रबंधन ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो, केंद्र, राज्य, नगर निगम या स्कूल स्तर पर अलग-अलग अधिकार के साथ सौंपे जा सकते हैं। विभिन्न देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ अधिकार शक्ति तथा क्रियाकलापों को निर्धारित करती हैं। केंद्रीकरण के मैट्रिक्स ढाँचे के दो छोर हैं—एक छोर पर केंद्र है और दूसरे छोर पर स्कूल है। अगर नीति योजना, प्रबंधन और वित्त संबंधी निर्णय इनमें से किसी एक छोर पर केंद्रित होता है तो इन दो बिंदुओं के बीच विभिन्न स्तरों पर अधिकारों तथा क्रियाकलापों के प्रत्यायोजना और हस्तांतरण से शैक्षिक निर्णय लिए जा सकते हैं। विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप यह हो सकता है कि शिक्षा नीति संबंधी प्रमुख निर्णय केंद्रीय स्तर तक लिए जाएँ जबकि योजना और प्रबंध संबंधी निर्णय जिला स्तर पर होता है।

जनपद स्तर पर प्राथमिक शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण

विद्यालयों के शिक्षकों की उन्नति के लिए देश में शिक्षा के पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तरों में गुणात्मक सुधार के स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था स्थापित करने की बात कही गई, जो जिले के अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति तथा विकास के लिए समुचित कार्य कर सके। इस संस्था को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा गया।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक व प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के शैक्षिक सहयोग प्रदान करना था। पूरे भारत में अनुमानतः 633 डायट स्थापित हो चुके हैं, जो अपने दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशेष भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य हैं—

- जिला स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ब्लॉक संसाधन केंद्रों के समन्वयकों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना।
- शिक्षकों के लिए सतत् तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- विद्यालय संकुलों तथा जिला बोर्डों को

सहयोग प्रदान करना।

- प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना।
- शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केंद्र के रूप में सेवाएँ उपलब्ध कराना।

बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की स्थापना की संकल्पना– कोठारी कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ऐसे सहयोगी की संकल्पना की गई जो अपने आप में एक संदर्भ व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) हो और उसका मुख्य कार्य कक्षा में पठन-पाठन के स्तर को सुधारने में सहायता पहुँचाना हो। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु ये दोनों केंद्र जनपद स्तर पर स्थापित 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' के मार्गदर्शन में क्रियाशील हैं।

विकास खण्ड संसाधन केंद्र – सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र को डायट के अनुरूप ब्लॉक स्तर पर बौद्धिक प्रकोष्ठ के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। इसें एक समन्वयक एवं एक सह-समन्वयक का पद है। यह केंद्र विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों तथा शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों को आयोजित करेगा। विकास खण्ड में स्थित सभी पंचायत संदर्भ केंद्रों और सभी स्कूलों का शैक्षिक मार्गदर्शन करेगा।

ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्रमुख दायित्व निम्नांकित हैं–

- सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित करना।
- शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाना तथा विद्यालयों में अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करना।
- बालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के बच्चों के पंजीकरण में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना।
- शैक्षिक मूल्यांकन और प्रगति की देख-रेख करना एवं सहयोग देना।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा शैक्षिक वातावरण का सृजन करना तथा अभिभावकों में चेतना जागृत करना।
- सूक्ष्म नियोजन, स्कूल मैपिंग तथा विद्यालय सुधार योजना के समस्त कार्यों में न्याय पंचायत संदर्भ केंद्रों को उचित मार्गदर्शन देना।

न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र परिकल्पित है। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों/ गतिविधियों का केंद्र होगा। इस केंद्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

- ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अधिक प्रभावी

बनाने के लिए इनके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयी प्रभावकारिता का निरीक्षण करना और सुझाव एवं सहयोग प्रदान करना।

- अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षण के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- क्षेत्र के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।

शैक्षिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रभावी बनाने में न्याय पंचायत संदर्भ केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये केंद्र छात्रों के नामांकन में वृद्धि का प्रयास करेंगे।

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था – उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा का आधुनिक रूप स्वतंत्रता के पूर्व अवस्था में भी देखने को मिलता है। वर्ष 1922 में ग्रामीण संस्थाएँ स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1947 मे पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के अनुसार नवीन ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए श्री बलवंत राय मेहता (1957) के प्रतिवेदन की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। समिति की संस्तुति थी कि *'स्थानीय निकायों को विभाग अथवा संविदाकार नहीं समझना चाहिए। यह ग्राम और क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक सरकार है।"* समिति की संस्तुतियों के अनुसार त्रि-स्तरीय योजना का क्रियान्वयन 1960 में किया गया। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन तंत्र का भाग-10 अंतस्थापित किया गया। इन संशोधनों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में लिया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा समिति– प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समिति स्थापित की जाएगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलाएगी। इसें जिला पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष होते हैं। जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कर्तव्यों और अधिकारों का संपादन करेगी–

- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का नियंत्रण।
- नए बेसिक स्कूल स्थापित करना, स्कूलों की स्थापना हेतु स्थान का चयन करना।
- बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना।
- विद्यालय विकास के लिए संसाधन एकत्र करना।
- ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना जो राज्य सरकारें समय-समय पर निर्देशित करें।

नगर बेसिक शिक्षा समिति– नगर बेसिक शिक्षा समिति प्रत्येक नगर निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के लिए एक समिति स्थापित की जाएगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति

कहलाएगी। नगर निगम का नगर प्रमुख अध्यक्ष होता है। समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं–

- जिले के नगर पालिका स्थापित बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण। बेसिक स्कूल विकास प्रसार तथा सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना।
- जिले के नगर क्षेत्र में बेसिक स्कूलों में शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।
- शिक्षा में अभिवृद्धि के लिए और विशेषत: बेसिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन उपस्थिति के लिए सुझाव देना।
- समिति के सदस्य सचिव बैठकों के कार्यावृत्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।

खण्डस्तरीय शिक्षा समिति– प्रत्येक खण्ड स्तर पर खण्डस्तरीय शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होंगे। खण्डस्तरीय शिक्षा समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं–

- खण्डस्तरीय शिक्षा समिति जिला बेसिक शिक्षा समिति के नियंत्रण में कार्य करेगी।
- जिला बेसिक शिक्षा समिति को सामान्यतया खण्ड में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए और विशेष बेसिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुझाव देना।
- बेसिक स्कूलों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यांवयन का अनुश्रवण करना।
- विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों का अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।
- ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित हों।
- समिति के सदस्य/सचिव बैठकों के कार्यवृत्ति को जिला बेसिक शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्रेषित करना।

ग्राम शिक्षा समिति– ग्राम शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा (11) (1) के प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं–

- ग्राम शिक्षा समिति खण्डस्तरीय शिक्षा समिति एवं जिला बेसिक शिक्षा समिति के नियंत्रण में कार्य करेगी।
- बेसिक स्कूलों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता देना।
- बेसिक स्कूलों के संचालन में सहायता करना।
- नए बेसिक स्कूल स्थापित करना तथा उनका भवन निर्माण/भवन मरम्मत कराना।
- स्कूल मैपिंग व माइक्रोप्लानिंग अभ्यास के आधार पर ग्राम के लिए शिक्षा योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना।
- समिति के सदस्य/सचिव बैठकों, कार्यवृत्त को खण्डस्तरीय शिक्षा समिति/जिला बेसिक शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्रस्तुत करेंगे।

विकेंद्रीकरण व्यवस्था एक वृहद् लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। आवश्यकता इस बात के आकलन की है कि वास्तव में विकेंद्रीकरण व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को लाभ हुआ है? ये किस प्रकार से एक-दूसरे से समन्वय स्थापित करती हैं और एकीकृत रूप से कार्य करने में क्या समस्याएँ प्रकट हुई हैं? इन संस्थाओं को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

समस्या कथन – चयनित समस्या को निम्न रूप में परिभाषित किया गया–

प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के प्रभावशीलता का अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है-

- जनपद स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के विकेंद्रीकरण से प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन।
- जनपदीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों का व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण ज्ञात करना।
- जनपदीय शिक्षा व्यवस्था के विकेंद्रीकरण से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को ज्ञात करना।

परिकल्पना–उपर्युक्त उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित परिकल्पना निर्मित की गई है–

- विकेंद्रीकरण व्यवस्था से प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण पर सार्थक प्रभाव पड़ा।
- जनपदीय शिक्षा व्यवस्था के विकेंद्रीकरण व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों के दृष्टिकोण सकारात्मक हैं।
- प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के प्रभावशीलता को अनेक समस्याएँ अवरुद्ध कर रही हैं।

परिसीमन– इस अध्ययन में शोधकर्त्री ने निम्न रूप से सीमाबद्ध किया है–

- प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है।
- इस अध्ययन में जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकरण से संबंधित विभिन्न इकाइयों एवं समितियों के मिले-जुले कार्यों का प्राथमिक शिक्षा के शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

अध्ययन विधि–उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शोधकर्त्री द्वारा सर्वप्रथम उपलब्ध शोध विधियों का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने पर यह पाया गया कि प्रस्तुत शोध के लिए सर्वेक्षण विधि ही सर्वाधिक उपयुक्त है।

न्यादर्श–उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जिलों की एक सूची तैयार कर ली गई और क्रमिक न्यादर्श विधि का चयन करते हुए 10% जनपदों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। सूची में से हर 5वें जनपद का चयन कर लिया गया अर्थात् 10% जनपदों का चयन करते हुए 7 जनपदों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। 20% विद्यालयों को 'साधारण अनियमित न्यादर्श विधि' का प्रयोग करते हुए चयन कर लिया गया। न्यादर्श के चयन हेतु विशेष ध्यान रखा गया कि संपूर्ण जनसंख्या में से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों को भी न्यादर्श में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले।

तालिका -1
चयनित न्यादर्श में स्थानीय निकाय

जिला	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	जिला बेसिक शिक्षा समिति	नगर बेसिक शिक्षा समिति	खण्डीय बेसिक शिक्षा समिति	ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालयों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
7	7	7	7	49	502	1008	1500
20%			20%				

अध्ययन हेतु उपकरणों का निर्माण– शोध समस्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु आवश्यक उपकरणों का चयन करने के लिए शोधकर्त्री द्वारा उपलब्ध उपकरणों का सर्वेक्षण किया गया, परंतु शोधकर्त्री के संज्ञान में ऐसा कोई भी उपलब्ध उपकरण नहीं आया जो प्रस्तुत शोध हेतु प्रयोग में लाया जा सके। अत: शोधकर्त्री ने स्वयं ही मापन उपकरणों का निर्माण किया है।

- प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र।
- जनपदीय शिक्षा के विकेंद्रीकरण व्यवस्था की समस्याओं से संबंधित व्यक्तियों की साक्षात्कार अनुसूची।

प्राप्त परिणाम–स्वयं निर्मित उपकरणों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया और परिणामों को उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थित कर नीचे प्रस्तुत किया गया है–

परिकल्पना–1. प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण व्यवस्था का विद्यालयी वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इस शोध का एक प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन करना है। इसें प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत नामांकन, ठहराव, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन में संपूर्ण विकेंद्रीकृत व्यवस्था के उत्तरदायित्व का आकलन किया गया है।

उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर शोधकर्त्री द्वारा न्यादर्श में चयनित 1008 विद्यालयों में 1500 शिक्षकों एवं जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था से जुड़े उत्तरदायी सदस्यों पर प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र को प्रशासित किया गया है। इससे प्राप्त परिणामों को तालिका-2 में बिंदुवार दिया जा रहा है-

तालिका-2

प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र पर प्राप्त परिणाम

क्र.सं.	कथन		प्रतिक्रिया	
		हाँ (%)	नहीं (%)	अनिश्चित (%)
1.	सरकार की नीतियाँ विद्यार्थियों को विद्यालय लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।	90	7	3
2.	विद्यालय विकास के कार्यों में सभी समितियाँ सहयोग प्रदान कर रही हैं।	70.2	29	8
3.	प्राथमिक विद्यालय के संचालन में ग्राम शिक्षा समिति सहयोग प्रदान करती है।	68	26	6
4.	बेसिक स्कूलों के विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में सभी समितियाँ सुझाव दे रही हैं।	63	35	2
5.	विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का अनुपात कम होने के कारण पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न हो रही है।	95	5	0
6.	पाठ्यपुस्तकों का वितरण छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है।	96	4	0
7.	छात्रवृत्ति वितरण का लाभ विद्यालय के छात्रों को हो रहा है जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है।	90	9	1
8.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों में विद्यालय आने के प्रति रुचि बढ़ रही है।	85.0	12.1	2.9
9.	सुविधाएँ प्रदान करने में शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।	62	38	0
10.	डायट अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।	66.9	27.6	5.5
11.	डायट विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्याख्या कर रही है।	59.5	35.7	4.8

12.	डायट में शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण इसका प्रभाव प्रशिक्षणार्थियों पर पड़ रहा है।	72.3	21.4	6.3
13.	डायट को भी समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में कठिनाई हो रही है।	64	34	2
14.	शिक्षकों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	74.7	4.52	20.8
15.	बी.आर.सी. द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में समय-समय पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है।	78.5	20.0	1.5
16.	प्राथमिक विद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण समय से नहीं हो पा रहा है।	69	31	0
17.	ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण को सरस एवं व्यावहारिक बना रही है।	55	45	0
18.	बी.आर.सी. पाठ्यपुस्तकों के वितरण में सहयोग प्रदान करती है।	88.8	10.9	0.3
19.	एन.पी.आर.सी. पाठ्यपुस्तकों के वितरण में सहयोग प्रदान करती है।	90.0	9.5	0.5
20.	ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मिल योजना में सहयोग प्रदान किया जाता है।	77	22	1
21.	ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मिल योजना के अंतर्गत शिक्षकों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।	71	19	10
22.	शिक्षकों पर अन्य कार्यों का भार होने के कारण उनकी पठन-पाठन में रुचि कम हो रही है।	76.6	21.4	2.0
23.	प्रधानों का शिक्षकों के ऊपर नियंत्रण होने से अध्यापक वर्ग के असंतुष्ट होने का प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है।	58	40	2
24.	शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा अध्यापकों को शिक्षण हेतु सामग्री के निर्माण में सहायता मिल रही है ।	81	9	10

25.	तैयार भोजन योजना के अंतर्गत शिक्षकों का ज्यादा समय इसकी व्यवस्था एवं देख-रेख में लगने से इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है।	85.7	12.8	1.5
26.	तैयार भोजन से छात्र वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।	92	08	0
27.	मध्याह्न भोजन योजना द्वारा विद्यालयों में पका-पकाया भोजन देने के प्रावधान से विद्यालय के पठन-पाठन के वातावरण में बाधा उत्पन्न हो रही है ।	84.4	13.09	2.6
28.	शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरणीय शिक्षा की जानकारी दी जा रही है।	80	20.0	0
29.	शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रभाव विद्यालय पर पड़ रहा है।	82.3	15.7	2.0
30.	विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर शिक्षकों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है ।	81.3	14.7	4.0
31.	विद्यालयों में छात्रों को खेल माध्यम से शिक्षा रुचिकर हो रही है।	82.6	14.04	3.4
32.	बालिका शिक्षा बढ़ाए जाने हेतु शिक्षा दी जा रही है।	89	11	0
33.	शासन द्वारा विभिन्न मदों, शिक्षकों और विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध है।	80.4	17.8	1.8
34.	महिला सामाख्या कार्यक्रम का प्रभाव स्कूलों में बढ़ती हुई उपस्थिति के रूप में दिखाई दे रहा है।	70	23	7
35.	सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव स्कूलों में बढ़ती हुई उपस्थिति के रूप में दिखाई दे रहा है।	83.3	13.57	3.2
36.	अभिभावक वर्ग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं।	77.6	19.7	2.7
37.	छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं से प्राथमिक विद्यालय के प्रति अभिभावकों का आकर्षण बढ़ा है।	8.2	18.3	1.5
38.	प्राथमिक विद्यालयों के प्रति सामुदायिक जन सहभागिता बढ़ रही है।	71	29	0
39.	प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो रहा है।	100	0	0

40.	संस्थाएँ एवं समितियाँ आपस में सामंजस्य प्रदान कर रही हैं।	45	55	0
41.	स्थानीय समितियाँ प्राथमिक शिक्षा के संचालन में सहयोग प्रदान कर रही हैं।	100	0	0
42.	स्थानीय निकायों के कार्यों में अन्य इकाइयों का हस्तक्षेप हो रहा है।	50	38	12
43.	उत्तरदायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन हो रहा है।	55	43	2
44.	छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य हो रहा है।	75	9	16
45.	अनिवार्य शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त हो रही है।	72	20	8
46.	विद्यालयों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण हो रहा है।	91	9	0
47.	उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में सुझावों को प्रस्तुत किया जा रहा है।	84	6	10
48.	प्राथमिक शिक्षा से जुड़े सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है।	81	9	10

व्याख्या – प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत ज्ञात करके किया गया है। परिणामों की व्याख्या बिंदुवार दी जा रही है–

- 91.1% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शासन की नीतियाँ विद्यार्थियों को स्कूल लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं तथा 6.4% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शासन की नीतियाँ छात्रों को स्कूल लाने में सहायक सिद्ध नहीं हो रही हैं। वर्तमान में लगभग दो करोड़ से अधिक 6–14 वर्ष की आयु के बच्चे विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं।
- 70.2% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ये सभी समितियाँ विद्यालय के विकास के कार्यों में सहयोग प्रदान कर रही हैं तथा 26.9% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ये समितियाँ विद्यालय विकास के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं कर रही हैं।
- 65.7% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय के संचालन में सहायता प्रदान की जा रही है तथा 26.9% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय के संचालन में सहयोग नहीं दिया जा रहा है तथा 7.4% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने अनिश्चितता प्रकट की है।
- 62.6% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ये समिति बेसिक स्कूलों के विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में सुझाव दे

रही है। मिड-डे-मील योजना एवं छात्रवृत्ति वितरण से उपस्थिति बढ़ी है तथा 35% शिक्षकों एवं अधिकारियों के द्वारा ये समिति बेसिक स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में सुझाव नहीं दे रही है।

- 94% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का अनुपात कम होने के कारण पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है। किसी-किसी विद्यालय में छात्र संख्या ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या कम है। इसका प्रभाव पठन-पाठन पर पड़ रहा है तथा 6% शिक्षकों के अनुसार इसका प्रभाव पठन-पाठन पर नहीं पड़ रहा है।
- 95% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का वितरण छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तथा 5% शिक्षकों के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का वितरण छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है।
- 89% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रवेश हेतु आकर्षण पैदा कर रही है। परिषदीय विद्यालयों में 6-14 वर्ष की आयु के विद्यार्थी विद्यालयी सुविधाओं से अवगत हो रहे हैं तथा विद्यालय में उनके नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्रवेश हेतु अस्थायी आकर्षण पैदा कर रही है।
- 85% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा विद्यालय आने के प्रति रुचि बढ़ी है। शासन द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें आकर्षक एवं रोचकता से युक्त हैं जिससे विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत विकसित करने के साथ-साथ उनकी अधिगम क्षमता में भी वृद्धि हो रही है।
- 62% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार सुविधाओं को प्रदान करने में शिक्षकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जैसे– छात्रवृत्ति वितरण, ड्रेस वितरण, मिड-डे-मील योजना आदि तथा 37% शिक्षकों के अनुसार सुविधाओं को प्रदान करने में शिक्षकों को कठिनाइयाँ नहीं हो रही हैं। भोजन पकाने और वितरण का कार्य 'ग्राम शिक्षा समितियों/वार्ड शिक्षा समितियों' एवं भोजन पकाने वाले कर्मचारियों पर ही निर्भर रहता है।
- 67% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार डायट अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। 60% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार डायट विकलांग बच्चों के लिए अलग-अलग शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। जिससे इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न हो। 35% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार डायट द्वारा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है तथा 5% शिक्षकों ने अनिश्चितता जताई है।
- 72% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार

डायट में शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण इसका प्रभाव प्रशिक्षणार्थियों पर पड़ता है तथा 6% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने अनिश्चितता जताई है।

- 60% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार डायट को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में कठिनाई होती है तथा 34% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार डायट को प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होती है। 75% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षण के द्वारा वह शिक्षा की नई विधियों को सीख सकें तथा 5% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। 20% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने इनके प्रति अनिश्चितता प्रकट की है।
- 79% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यालय पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा 20% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यालय में शिक्षण सामग्री न होने से शिक्षकों के पठन-पाठन में कोई कठिनाई नहीं होती है।
- 69% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार समय-समय पर प्राथमिक विद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण होता है तथा 30% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण समय से नहीं होता है।
- 52% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण को सरस एवं व्यावहारिक बना रही है तथा 45% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के वातावरण को सरस एवं व्यावहारिक बनाने में सहयोग नहीं दे रही है।
- 89% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार बी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को सुझाव एवं निर्देश दिया जाता है तथा 11% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ब्लॉक समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को सुझाव एवं निर्देश नहीं दिया जाता है।
- 90% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार संकुल प्रभारी द्वारा पाठ्यपुस्तकों के वितरण में सहयोग प्रदान किया जाता है जिसके वितरण से छात्र वर्ग लाभान्वित होते हैं।
- 76% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाता है तथा 22% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है। विद्यालय में 'पका-पकाया भोजन वितरण योजना' से बच्चे विद्यालय आने को प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि 'सूखा राशन वितरण योजना' के समय विद्यार्थियों का नामांकन तो बढ़ता था परंतु उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि नहीं होती थी। 'पका-पकाया भोजन वितरण

योजना' से विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को सुनिश्चित किया जा रहा है। जबकि मात्र 16.94% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने नकारात्मक मत व्यक्त करते हुए कहा कि 'पका-पकाया भोजन वितरण योजना' से बच्चे विद्यालय आने को प्रेरित नहीं हुए हैं क्योंकि अधिकांशत: विद्यालयों में नियमित भोजन पकाने का कार्य किया ही नहीं जाता है।

- 79% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा मध्याह्न भोजन के अंतर्गत शिक्षकों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है तथा 19% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे-मील योजना में शिक्षकों को सहयोग नहीं प्रदान किया जाता है।
- 77% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों पर अन्य कार्यों का भार होने से उनकी पठन-पाठन में रुचि कम हो जाती है, अन्य कार्य जैसे-पल्स पोलियो, जनगणना आदि।
- 58% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार प्रधानों का शिक्षक के ऊपर नियंत्रण होने से अध्यापक वर्ग असंतुष्ट है जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है।
- 80% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा अध्यापकों को शिक्षण हेतु सहायता सामग्री निर्माण में सहायता मिलती है। निर्मित सामग्री को केवल प्रदर्शनी के लिए नहीं अपितु कक्षा शिक्षण में भी प्रयोग किया जाए।
- 92% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार तैयार भोजन से छात्र वर्ग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना से छात्र संख्या में भी वृद्धि हुई है। 86% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार दोपहर भोजन योजना से शिक्षकों का ज्यादा समय इसकी व्यवस्था व देख-रेख में लगने से शिक्षा बाधित हो रही है तथा 12% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार दोपहर भोजन योजना से शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 84% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों में पका-पकाया भोजन देने के प्रावधान से पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि सारा समय इस व्यवस्था में ही बरबाद हो रहा है तथा 13% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार पका पकाया भोजन देने से विद्यालय के पठन -पाठन में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।
- 79% शिक्षकों के अनुसार शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरणीय शिक्षा की जानकारी दी जाती है।
- 82% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रभाव विद्यालय पर पड़ा है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा 16% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रभाव विद्यालय पर नहीं पड़ रहा है।
- 81% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षकों

को डायट में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन बच्चों को उसी विधि से पढ़ा सकें तथा 15% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

- 83% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों में छात्रों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे रुचि से सीखेंगे। 82% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों में बालिका शिक्षा बढ़ाए जाने हेतु विशेष शिक्षा दी जा रही है तथा 16% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार बालिका शिक्षा बढ़ाए जाने हेतु कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है।
- 80% शिक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा सकारात्मक मत व्यक्त किये गए। इनके अनुसार शासन द्वारा विभिन्न मुद्दों में शिक्षकों और विद्यालयों के लिए अनुदान उपलब्ध है तथा 16% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार शासन शिक्षकों और विद्यालयों के लिए अनुदान उपलब्ध नहीं करा रहा है।
- 83% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार 'सर्व शिक्षा अभियान' का प्रभाव स्कूलों में बढ़ती उपस्थिति के रूप में दिखाई दे रहा है।
- 78% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने सकारात्मक मत व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावक वर्ग भी शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। 80% शिक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा सकारात्मक मत व्यक्त किए गए। इनके अनुसार छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं से प्राथमिक विद्यालय के प्रति अभिभावकों का आकर्षण बढ़ा है। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तत्पर हैं तथा 18% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बावजूद भी अभिभावकों का आकर्षण प्राथमिक विद्यालय के प्रति नहीं है। 67% शिक्षकों एवं अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के प्रति सामुदायिक सहभागिता बढ़ रही है तथा 29% शिक्षकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के प्रति सामुदायिक जन सहभागिता नहीं बढ़ी है।
- 100% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने सकारात्मक मत व्यक्त किए। इन शिक्षकों के अनुसार शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रभाव विद्यालय के नामांकन पर पड़ रहा है। प्रत्येक 1.5 किमी पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, ब्रिज कोर्सों आदि का निर्माण किया जा रहा है जिससे नामांकन के साथ-साथ शिक्षा की पहुँच में विस्तार भी हो रहा है। 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी पर्वतीय इलाकों के व्यक्ति, विकलांग एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जा रहा है' तथा आकर्षक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- सभी 100% पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक मत व्यक्त किया गया। इनके अनुसार विकेंद्रीकरण व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो रहा है।

- 45% पदाधिकारियों ने सकारात्मक मत व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी संस्थाएँ एवं समितियों का आपस में सामंजस्य हो रहा है तथा 55% सदस्यों द्वारा नकारात्मक मत व्यक्त किया गया कि सभी संस्थाओं एवं समितियों का आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा है।
- सभी 100% पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया कि सभी संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा के संचालन में सहयोग प्रदान कर रही हैं।
- सभी 100% पदाधिकारियों द्वारा माना गया कि सभी संस्थाओं एवं समितियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।
- सभी 75% सदस्यों द्वारा सकारात्मक विचार व्यक्त किया गया कि स्थानीय निकायों को स्वयं अपने तरीकों से कार्य करने की स्वतंत्रता मिल रही है ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें तथा 25 सदस्यों द्वारा नकारात्मक मत व्यक्त किया गया कि स्थानीय निकायों को स्वयं अपने तरीकों से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है उसें अधिकारियों का हस्तक्षेप होता रहता है।
- 50% सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया कि स्थानीय निकायों के कार्यों में अन्य इकाइयों का हस्तक्षेप ज्यादा होने से कार्य बाधित होता है, जबकि 50% सदस्यों ने अस्वीकार किया कि स्थानीय निकायों के कार्यों में अन्य इकाइयों का हस्तक्षेप कम होता है।
- इसके प्रति 56% सदस्यों द्वारा माना गया कि सभी इकाइयाँ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से कर रही हैं तथा 44% सदस्यों द्वारा माना गया सभी इकाइयाँ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही हैं।
- सभी 75% सदस्यों ने स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि सभी समितियाँ एवं संस्थाएँ छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही हैं तथा 25% सदस्यों ने अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया समितियाँ एवं संस्थाएँ छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य नहीं कर रही हैं।
- 72% सदस्यों द्वारा माना गया कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था के हो जाने के बाद ही हम अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं तथा 28% सदस्यों द्वारा नकारात्मक मत देते हुए माना गया कि इस व्यवस्था के हो जाने के बाद भी हम अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
- 91% सदस्यों द्वारा सकारात्मक मत व्यक्त किया गया। इनके अनुसार इन समितियों एवं संस्थाओं के सदस्यों द्वारा विद्यालयों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जा रहा है।
- सभी 100% पदाधिकारियों ने स्वीकार किया कि ये संस्थाएँ बेसिक स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में कार्य कर रही हैं तथा अपने सुझावों को प्रस्तुत कर रही हैं।
- 93% सदस्यों द्वारा सकारात्मक विचार देते

हुए माना गया कि इस व्यवस्था के तहत् प्राइमरी स्कूलों की देख-रेख स्थानीय निकाय कर रहे हैं।

- सभी 100% सदस्यों द्वारा सकारात्मक मत देते हुए स्पष्ट किया गया कि इन इकाइयों का प्रमुख उत्तरदायित्व समुदाय को जागरूक बनाना है। जिससे प्रत्येक परिवार का प्रत्येक बालक प्राथमिक शिक्षा में भाग ले जिससे नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ेगी।
- 45% सदस्यों द्वारा माना गया कि संस्थाओं व समितियों द्वारा काम में हस्तक्षेप कर समस्या उत्पन्न की जाती है तथा 55% सदस्यों द्वारा नकारात्मक मत व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि संस्थाओं एवं समितियों द्वारा काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।
- 81% सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया कि यह व्यवस्था हो जाने के बाद भी हम प्राथमिक शिक्षा से जुड़े सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं तथा 19% सदस्यों के द्वारा कहा गया कि हम इन सभी लक्ष्यों से कोसों दूर हैं।
- 62% सदस्यों द्वारा सकारात्मक विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि सभी संस्थाएँ एक-दूसरे को समय-समय पर सहयोग प्रदान कर रही हैं तथा 38% सदस्यों द्वारा नकारात्मक विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि सभी संस्थाएँ एक-दूसरे को समय पर सहयोग नहीं प्रदान कर रही हैं। सभी 86% सदस्यों द्वारा माना गया कि अभिभावक वर्ग प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। सभी 100% सदस्यों द्वारा सकारात्मक मत व्यक्त किया गया। इनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रति सामुदायिक जनसहभागिता बढ़ी है।

उपरोक्त सभी कथनों पर 60% से अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर सार्थक प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण के प्रति संबंधित व्यक्तियों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। अतः शून्य परिकल्पना "प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की विकेंद्रीकरण व्यवस्था से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।" निरस्त होती है तथा शोध परिकल्पना चयनित हो जाती है।

परिकल्पना 2– प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की प्रभावशीलता को अनेक समस्याएँ अवरुद्ध कर रही हैं।

प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकृत व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों, सदस्यों एवं शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि प्राथमिक शिक्षा की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कौन-कौन सी समस्याएँ उनकी प्रभावशीलता को कम करती हैं। 7 नगर बेसिक शिक्षा समिति, 49 खण्डस्तरीय बेसिक शिक्षा समिति, 502 ग्राम बेसिक शिक्षा समिति, एवं 1500 शिक्षक एवं अधिकारियों से साक्षात्कार अनुसूची पर प्राप्त अनुक्रियाएँ जो उभरकर सामने आई हैं। इन समस्याओं को तालिका-3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका - 3

क्र.सं.	उपस्थित समस्याएँ	सकारात्मक प्रतिक्रिया(%)
1.	ग्रामीण लोगों की अशिक्षा।	85
2.	अधिकारियों में उदासीनता/बेरुखी/ तत्परता की कमी।	79
3.	अधिकारियों में बेहतर तालमेल की कमी।	69
4.	शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार।	90
5.	आर्थिक समस्याएँ।	83
6.	विकेंद्रीकृत व्यवस्था के प्रति उचित संझ की कमी।	90
7.	विकेंद्रीकृत व्यवस्था से जुड़े लोगों में स्थानीय राजनीति।	75
8.	सामुदायिक सहभागिता की कमी।	65
9.	जाति एवं सामाजिक संरचना से संबंधित समस्याएँ।	75
10.	उचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी।	63
11.	ग्राम शिक्षा समितियों की मनमानी एवं अत्यधिक हस्तक्षेप।	80
12.	स्कूली व्यवस्था में स्थानीय निकायों का अत्यधिक हस्तक्षेप।	83
13.	अध्यापकों एवं छात्रों का अनुपात मानक के अनुरूप न होना।	75
14.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता की कमी।	70
15.	प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर स्थानीय निकायों का अत्यधिक दबाव।	82
16.	समुदाय के सहयोग के अभाव संबंधी समस्या।	100
17.	नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्या।	98.30
18.	अभिभावकों की उदासीनता की समस्या।	95
19.	उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता का अभाव।	85

व्याख्या – इस शोध का एक प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता को अवरुद्ध कर रही समस्याओं को जानना भी है। समस्याओं के प्रति संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस व्यवस्था से जुड़े 85% सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं। इसी अशिक्षा के कारण वे लोग नहीं जानते कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है?

- विकेंद्रीकृत व्यवस्था से जुड़े 79% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ दीं कि प्राथमिक शिक्षा में

विकेंद्रीकृत व्यवस्था के प्रति अधिकारियों में उदासीनता, बेरुखी एवं तत्परता की कमी है, क्योंकि इससे जुड़े व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति तत्परता नहीं दिखाते हैं।

- 69% सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि अधिकारियों में बेहतर तालमेल का अभाव है। इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारी आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि सबके कार्य करने एवं सोचने का तरीका अलग होता है।
- 90% सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार होने की वजह से शिक्षा में गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है।
- 83% सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया कि आर्थिक समस्या के कारण शिक्षक एवं अधिकारी कार्य के प्रति जागरूक नहीं दिखते हैं क्योंकि धन की आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी काम को रोक देते हैं। 90% सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि इस व्यवस्था के प्रति लोगों में उचित संझ की कमी है जिसके कारण इस व्यवस्था को चलाने में समस्याएँ आती हैं।
- 75% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि इस व्यवस्था में स्थानीय राजनीति की वजह से यह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।
- 63% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं कि इससे जुड़े लोगों में सामुदायिक सहभागिता की कमी है। जब लोगों में जागरूकता आएगी तभी सामुदायिक सहभागिता बढ़ेगी। 75% लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि जातिवाद के आधार पर सामाजिक संरचना की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
- 63% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि इस व्यवस्था में उचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी है क्योंकि जब तक किसी कार्य का निरीक्षण नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि यह व्यवस्था सही रूप से कार्य कर रही है या नहीं।
- इस व्यवस्था से जुड़े 80% लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का प्राथमिक विद्यालयों में अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण शिक्षक पर हमेशा अत्यधिक दबाव रहता है जिसके कारण शिक्षण कार्य बाधित होता है।
- 83% सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि स्कूली व्यवस्था में स्थानीय निकायों का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण स्कूली व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। इस व्यवस्था से जुड़े 75% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक एवं छात्र का अनुपात मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण एक ही अध्यापक कई कक्षाओं को संचालित करते हैं।
- 70% सदस्यों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता की कमी है। इसलिए इस समिति के सदस्यों

को जागरूक बनाया जाए तभी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

- 82% व्यक्तियों ने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर स्थानीय निकायों का अत्यधिक दबाब होने के कारण पढ़ाई बाधित होती है।
- 80% शिक्षकों एवं अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों के सुविधायुक्त होने के बावजूद भी अधिकांश अभिभावकों का रुझान अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति नहीं हो पा रहा है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में कराकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेते हैं तथा अधिकांशतः अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों से बालश्रम कराया जा रहा है। बालिका शिक्षा के प्रति आज भी अभिभावकों का दृष्टिकोण उदासीन है।
- शिक्षक के अन्य उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता के अभाव के संबंध में देखा गया कि 85% शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग नहीं रहते।
- समुदाय के सक्रिय सहयोग के अभाव की समस्या के प्रति 80% शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में समुदाय के सक्रिय सहयोग की नितांत आवश्यकता है। परंतु समुदाय के लोगों का सक्रिय सहयोग मिल पाना कठिन है।

उपर्युक्त कथनों के प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकृत व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में अनेक समस्याएँ हैं जिनमें ग्रामीणों की अशिक्षा, अधिकारियों में तालमेल का अभाव, सामुदायिक सहभागिता की कमी, स्थानीय निकायों का हस्तक्षेप तथा शासन द्वारा नियमित पर्यवेक्षण आदि की समस्याएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार परिणामों को देखते हुए शून्य परिकल्पना 'प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकृत व्यवस्था की प्रभावशीलता को अनेक समस्याएँ अवरुद्ध नहीं कर रही हैं' निरस्त होती है तथा शोध परिकल्पना चयनित हो जाती है।

शोधकर्त्री द्वारा दिए गए सुझाव

शोधकर्त्री द्वारा आंकड़ों के संकलन हेतु डायट्स, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., विभिन्न समितियों तथा प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण के प्रभाव से संबंधित समस्याओं का अवलोकन किया गया। शिक्षकों, पदाधिकारियों, समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों के साथ साक्षात्कार किया जिससे कुछ तथ्य निकलकर आए जो विचारणीय हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सुझाव

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित उद्देश्यों के तहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, परंतु ऐसा मालूम होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीवंतता की कमी रह गई है। अभी भी मानक के अनुसार प्रशिक्षक नियुक्त नहीं हैं। प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि संस्थानों में मानक के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करे।

- डायट द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण जो ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आयोजित किये जाते हैं, इनमें निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त तो कर रहे हैं परंतु वरिष्ठ अध्यापकों की रुचि बहुत कम दिखायी देती है। वह प्रशिक्षण में सीख तो लेते हैं परंतु विद्यालय में उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसकी सार्थकता तभी होगी जब शिक्षक उसका प्रयोग विद्यालय में करेंगे। इसके लिए शिक्षकों के कार्यों का आकलन किया जाए तभी शिक्षक प्राथमिक शिक्षा के प्रति गंभीर हो सकेंगे।
- डायट्स में भी कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण शिक्षण स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। शैक्षिक प्रशासन को डायट्स में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे प्रशिक्षकों को असुविधा न हो।
- डायट्स द्वारा अपने जिले में स्थित बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. एवं ग्राम शिक्षा समितियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाए।
- डायट्स जिले की प्रमुख संस्था है जिसका उत्तरदायित्व है कि वह सभी बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. के प्रभारियों की बैठकें बुलाकर, उनसे उनके क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बनाने की आवश्यकता है।

ब्लॉक संसाधन केंद्र के लिए सुझाव

- ब्लॉक संसाधन केंद्र ब्लॉक स्तर की एक प्रमुख संस्था है, जिसे अपने ब्लॉक स्तर पर स्थापित एन.पी.आर.सी. तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रति गंभीर होना चाहिए।
- समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण समय पर किया जाए, जिससे वे अपने ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों की अच्छे से देख-रेख कर सकें।
- बी.आर.सी. द्वारा नामांकन, उपस्थिति एवं बच्चों की उपलब्धि की संप्राप्ति की जाए, जिससे प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो।
- ब्लॉक संसाधन केंद्र यह देखे कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अध्यापक शिक्षण कार्य में कर रहे हैं या नहीं।
- विद्यालयों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, यूनिफॉर्म एवं छात्रवृत्ति वितरण में आने वाली समस्याओं का निदान ब्लॉक स्तर पर किया जाए।
- ब्लॉक समन्वयकों का कर्तव्य है कि वह अपने ब्लॉक में स्थित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों से प्राथमिक विद्यालयों के बारे में सही रिपोर्ट मांगें और उन पर अपना सुझाव दें।
- ब्लॉक समन्वयक प्राथमिक शिक्षा की उचित स्थिति से जिला स्तरीय शिक्षा समिति को अवगत कराएँ।
- इस अध्ययन से पता चला कि बी.आर.सी. द्वारा मासिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

एन.पी.आर.सी. के लिए सुझाव

- एन.पी.आर.सी. के द्वारा नामांकन वृद्धि, उपस्थिति एवं नवीन शिक्षण तकनीकी के प्रयोग द्वारा अध्यापकों में शैक्षिक कार्यकुशलता का विकास किया जाए।
- एन.पी.आर.सी. द्वारा शैक्षिक कार्यों में समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए।
- एन.पी.आर.सी. अपनी न्याय पंचायत के अंतर्गत निर्धारित स्कूलों की सही स्थिति की रिपोर्ट ब्लॉक केंद्र पर दे, जिससे उनसे जुड़ी समस्याओं का निदान किया जा सके।
- एन.पी.आर.सी. विद्यालयों का सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म नियोजन करके प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
- एन.पी.आर.सी. राष्ट्रीय अभियानों के लिए अध्यापकों में जागरूकता लाने का कार्य किया जाए।
- ये इकाई एक संसाधन के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए इसे अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर होना चाहिए।

जिला बेसिक शिक्षा समिति के लिए सुझाव

- जिला बेसिक शिक्षा समिति अपने क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करे।
- जिला बेसिक शिक्षा समिति अपनी अन्य समितियों के साथ समन्वय कर रही है लेकिन विचारों में मतभेद होने के कारण कहीं-कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ बेसिक स्कूलों के नामांकन अभियान में सहयोग प्रदान कर रही हैं।
- जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कठिनाइयों की रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित करें।
- ग्राम शिक्षा समिति एवं खण्डस्तरीय शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित कार्यों को किया जा रहा है, इसका निरीक्षण इस समिति द्वारा किया जाए।
- समिति अपनी अन्य समितियों से विद्यालयों की हर गतिविधियों की रिपोर्ट माँगे, जिससे प्राथमिक स्कूलों का सही मूल्यांकन हो सके।
- यह समिति शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए अपनी अन्य समितियों को सुझाव भी दे।

नगर बेसिक शिक्षा समिति के लिए सुझाव

- नगर बेसिक शिक्षा समिति अपनी अन्य समितियों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हो सकें।
- इस समिति द्वारा विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराकर विद्यालय के सुंदरीकरण का कार्य किया जाए।
- नगर बेसिक शिक्षा समिति विद्यालयों का सूक्ष्म निरीक्षण कर उनकी समस्याओं से अवगत हों तथा उनके निदान हेतु अपने सुझाव भी दें।
- यह समिति विद्यालय संचालन में भी अपना सहयोग प्रदान करे।

- इस समिति की स्थापना का उद्देश्य भी यही है कि वह प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हर गतिविधि का अवलोकन करे और निदानात्मक उपाय ढूँढ़े।

खण्डस्तरीय शिक्षा समिति के लिए सुझाव

- खण्डस्तरीय शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करे कि यह योजनाएँ सभी जगह प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं।
- खण्डस्तरीय शिक्षा समिति ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाए जिससे वह अपना सहयोग प्रदान करे।
- यह समिति छात्रवृत्ति वितरण एवं नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण में अधिक से अधिक सहयोग दे जिससे अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।
- समिति के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
- इस अध्ययन से यह भी पता चला कि यह समिति छात्र-अध्यापक अनुपात बनाए रखने के लिए भी अपना सुझाव अन्य समितियों को देती है।

ग्राम शिक्षा समिति के लिए सुझाव

- ग्राम शिक्षा समिति इस व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है इसलिए इसे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
- ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों का अवलोकन किया जाए। उनके कार्यों के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे उनमें अपने कार्यों को करने के प्रति सक्रियता बढ़ सके।
- शोध के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान व्यय किये जाने वाली पूँजी की कटौती से अपनी जेब भरता है। अत: उसकी संपत्ति का वार्षिक निरीक्षण किया जाए।
- यह समिति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर रही है इसके लिए अच्छे कार्य करने वाली ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे उनमें सक्रियता बढ़े।
- ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनता को जागरूक बनाए।

शिक्षकों के लिए सुझाव

- इस समय जिलों में सर्वशिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए सीमैट एवं डायट में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी जब शिक्षक इस लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित हों तथा सक्रियता दिखाएँ।
- अधिकांश विद्यालय एकल हैं। अत: प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक नहीं बल्कि कम-से-कम दो या तीन अध्यापक

होने चाहिए।

- शोधकर्त्री ने अपना सर्वेक्षण करते समय शिक्षकों द्वारा बताई गई जिस कठिनाई का अनुभव किया वह यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को जिले में चुनाव, जनगणना एवं भोजन बनवाने जैसे कार्य करवाए जाते हैं। विद्यालयों में वैसे ही शिक्षकों की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त सभी कार्यों में लगाए जाने से वे विद्यालय, शिक्षण में कम समय दे पाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सुधारना है तो प्रशासन को शिक्षकों द्वारा इन कार्यों को करवाए जाने का विरोध करना चाहिए।
- सरकार विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय विकास हेतु अनुदान प्रदान कर रही है जिससे विद्यालय के समस्त भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो सके और विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो। विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व है कि वह अनुदान का सही सदुपयोग करे।
- जिन विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है वहाँ शैक्षिक प्रशासन को विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था का विकेंद्रीकरण गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए किया गया जिससे विद्यालय की पूरी शैक्षिक व्यवस्था एक श्रृंखला से जुड़े। विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे शिक्षा की गुणात्मकता बनी रहे।

संदर्भ

1. एन.सी.ई.आर.टी., 2005-06 *'शिक्षा की प्रगति'*, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र.
2. एन.सी.ई.आर.टी., 2006 *'बुनियाद'* त्रैमासिक पत्रिका, द्वितीय एवं तृतीय अँक, विद्या भवन, निशांतगंज, लखनऊ
3. जैन एवं शर्मा, 2007 'युनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन: चैलेंज फॉर कंट्री', *यूनिवर्सिटी न्यूज़*, मार्च 2007, पृ. 13-15